NJESR/November-2023/Volume-5/Issue-11 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2023.5.11.1-3

भ्रटाचार के विरूद्ध जाँच हेतु लोकपाल/लोकायुक्त जनता के लिए एक सशक्त वरदान

अरुण कुमार (शोध प्रज्ञ)
लोक प्रशासन विभाग
वीर कुंवर सिंह वि"वविद्यालय आरा (बिहार)
(Received:25October2023/Revised:13November2023/Accepted:24November2023/Published:30 November 2023)

ओम्बड्मैन (Ombudsman) 'स्कैनडिनेविया' का शब्द है। इसका अर्थ अधिकारी या आयुक्त से है। विशिष्ट भाव में इसका अर्थ ऐसे आयुक्त से है जो कि सरकार के विरूद्ध नागरिकों की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करता है और इसकी प्रतिवेदन संसद को देता है।

ओम्बड्समैन (लोकपाल) को जांच करने की शक्ति प्रदान कि गई है। सरकार के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में शिकायत किए जाने पर यह जांच करता है और अपनी प्रतिवेदन विधायिका को सौंप देता है। यह किसी भी अर्थ में अपीलीय न्यायालय नहीं होता है और किसी भी सरकारी निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसका महत्व इस अर्थ में है कि यह नागरिकों की शिकायतों पर जनता और विधायिका का ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार ओम्बड्समैन विधायिका का एक अधिकारी होता है जिसका प्रमुख कार्य प्रशासन के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच करना और विधायिका को प्रतिवेदन सौपना होता है।

जैन एण्ड जैन का कहना है कि लोकपाल (ओम्बड्समैन) त्रुटिपूर्ण प्रशासन द्वारा होने वाले अन्याय के विरूद्ध नागरिकों के सम्पति का सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य प्रशासन में भ्रटाचार का पता लगाना होता है,? शिकायतकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने में तथा शिकायत दूर करने के लिए सलाह भी दे सकता है।

ओम्बड्समैन कार्यपालिका के अधीन कोई कर्मचारी नहीं होता है। उसकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होता है और वह किसी विशिष्ट राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शिता से कार्य कर सकता है।

सामान्य अर्थों में ओम्बुड्समैन एक स्वीडीश शब्द है। जिसका अर्थ विधायिका द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी से है जो प्रशासकीय और न्यायिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करता हो।

'ओम्बुड्समैन' (लोकपाल) का अर्थ जनता के हितों के रक्षक, 'एक प्रतिनिधि,' अभिकर्त्ता, अधिकारी या आयुक्त' है। 'ओम्बुड्समैन' की सुस्पष्ट परिभाषा संभव नही है। परन्तु गारनर[1] महोदय उसको संसद के अधिकारी के रुप में चित्रित करते है। जिसका संसद के एजेन्ट (अभिकर्त्ता) के रुप में प्राथमिक कर्तव्य नागरिको को कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग या कुप्रयोग से सुरक्षित रखना है।

1. ओम्बुड्समैन को ही भारतीय परिकल्पना में लोकपाल कहा जाता है।
2. सरकार के खिलाफ नागरिकों की शिकायत को सुनने वाला एक अधिकारी होता है जिसे लोकपाल कहते हैं।

लोकपाल के प्रकार

स्वीडेन की संस्था ओम्बुड्समैन जिसे वहाँ परिवाद अधिकारी अथवा प्रशासन का संसदीय कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। यह फ्रांस की काउन्सिल डी–टा की भाँति सभी प्रशासकीय कृत्यों के विरुद्ध न तो कार्यवाही करती है और न ही उनको रद्द कर सकती है। यह केवल एक स्वतंत्र संस्था है जिसे मंत्रणा देने का अधिकार होता है और वह किसी भी मंत्री अथवा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत होने पर जाँच कर सकती है तथा संसद को कार्यवाही के किए संस्तुती कर सकती है। यह संस्था स्वीडेन में 1809 में स्थापित की गई थी और इसकी सफलता देख कर यूरोप ही नही वरन् अन्य महादेश में इस संस्था को अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है जिसे उस विशेष विषय के नाम से जोड़कर लोकपाल की श्रेणी से नवाजा जाता है इसके अनेक प्रकार इस प्रकार है–

1. विश्वविद्यालय लोकपाल
2. बैंकिंग लोकपाल
3. नेवी ओम्बुड्समैन
4. उपभोक्ता संरक्षण हेतु लोकपाल
5. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ओम्बुड्समैन
6. कारपोरेट सेक्टर में लोकपाल
7. विभिन्न राज्यों में लोकपाल
8. संसदीय ओम्बुड्समैन इत्यादि।

लोकपाल की आवश्यकता ही क्यों?

Created by Universal Document Converter

साधारणतः ओम्बुड्समैन एक न्यायधीश, वकील या उच्च अधिकारी होता है। उसका चरित्र प्रतिष्ठा और ईमानदारी होती है। उसकी नियुक्ति संसद करती है, इसलिए वह प्रशासनिक श्रृखंला का अधिकारी नहीं है। वह राजनीति से उपर होता है और वस्तुनिष्ठता (निष्पक्षता) के साथ सोचने की स्थिति में होता है। उसके कार्यों के पालन करने में संसद का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वह नागरिको की प्रशासन के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हुए संसद को रिपोर्ट देता है। शिकायत के निदान के लिए वह अपना सुझाव भी देता है। इन रिपोर्टो का व्यापक प्रचार किया जाता है। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार वह कुप्रशासन के विरुद्ध एक 'प्रहरी' या 'लोक सुरक्षा वाल्ब' है, और कमजोर का संरक्षक है।

अतः लोकपाल जैसी संस्था अर्थात् लोकपाल की आवश्यकता वक्त एवं जरुरत की मांग है।

अतः लोकपाल जैसी निष्पक्ष, पारदर्शी व जवाबदेह संस्था भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक एवं दुनिया की सबसे बड़ी जनतांत्रिक परंपरा वाले राष्ट्र जहाँ भ्रष्टाचार आज एक पहेली बन चुकी है, जहा लोकपाल एक आवश्यक अंग बन चुकी है। अतः यथाशीघ्र ऐसी संस्था का उदय होना लाजिमी है, जिससे जनसामान्य की जनआकांक्षा को पूरा किया जा सके, एवं भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जा सके।

क्या लोकपाल भ्रश्टाचार को खत्म करने का प्रभावी माध्यम हो सकता है?

लोकपाल (ओम्बुड्समैन) प्रणाली में शिकायतकर्त्ता को अपना आरोप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी विभाग में कुप्रबंध होने पर यह स्वतः भी अन्वेषण कर सकता है। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कारगर हथियार के रुप में नजर आती है। साथ ही साथ लोकपाल के द्वारा न्याय प्राप्त करना सस्ता और आसान होता है। इसके अतिरिक्त ऑम्बड्समैन को न्यायालय की भाँति कोई वृहत प्रक्रिया का अनुसरण भी नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार लोकपाल के समक्ष भ्रष्टाचार से जुड़े मसले पर तुरंत एवं शीघ्रताशीघ्र निर्णय आने से सरकार एवं नौकरशाही के विरुद्ध एक ठोस एवं आधारभूत संदेश जाता है, एवं समाज में भ्रष्टाचार के विरुद्ध नया संदेश जाता है।

परंतु लोकपाल नौकरशाही की सभी बुराईयों एवं भ्रष्टाचार के सभी मामले के लिए रामबाण नही है। लोकपाल जैसी संस्था की सफलता समुचित रुप से प्रशासित राज्य पर निर्भर करती है। जहाँ प्रशासन संरक्षण और भ्रष्टाचार की पहेली है वहाँ वह कुछ नहीं कर सकता है। ओम्बुड्समैन संस्था को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सफलतम एवं सशक्त हथियार के रुप में पेश आने का श्रेय बहुत सीमा तक वहाँ के ओम्बुड्समैन के व्यक्तित्व को जाता है। यदि ओम्बुड्समैन नागरिकों की समस्याओं शिकायतों में गहरी दिलचस्पी ले, और उस समस्याओं, शिकायतों मामलों के अन्वेषण में स्वयं भाग ले, तो संभव है कि भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामले के तथ्य उजागर होगे एवं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सकती है। भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामले में भ्रष्टाचारियों पर सरकार का संरक्षण होता है परन्तु यदि लोकपाल जैसी संस्था को स्वतंत्र होकर काम करने दिया जाय तो मुमकिन ही नहीं अपितु संभव भी है कि लोकपाल एक हथियार के रुप में भ्रष्टाचार की समस्याओं को रोकने में कारगर हो सकता हैं। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए।

क्या भारत भ्रश्टाचार मुक्त राज्य हो सकता है?

हर्बर्ट मार्क्यूस ने कभी लिखा था कि समृद्ध व्यक्ति अपनी समृद्धि जितनी ज्यादा बढ़ाता है उतना ही बड़ा सामाजिक नरक अपने नीचे पैदा करता है। देश में वह नरक ज्यादा से ज्यादा पैदा किया जा रहा है ताकि चंद लोग ज्यादा से ज्यादा समृद्धि अर्जित कर सकें।

पंडित जवाहरलाल नेहरु के जमानें से यह कहा जा रहा है कि केंद्र से चलने वाला सरकारी रुपया नीचे तक पहुँचते–पहुँचते 15 पैसे रह जाता है। राममनोहर लोहिया ने भी कहा और राजीव गाँधी के बाद अब राहुल गाँधी भी इस बात को दोहरा रहे हैं। सरकारी भ्रष्टाचार के उपर से नीचे तक विकराल होते तंत्र के बारे में तो यह जानकारी दोहराई जा सकती है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमेशा ढका रह जाता है। हमें क्या इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के एक रुपये को अनुचित तरीके से छीनने के लिए कैसा तंत्र बना हुआ है? एक व्यक्ति जो एक रुपया बचा सकता है, वह नीचे से उपर तक कई हिस्सों में अनुचित तरीके से हड़प लिया जाता है। यह भ्रष्टाचार का दूसरा पहलू है लेकिन यह तंत्र समाज में भ्रष्ट तंत्र के हिस्से के रुप में दिखाई नहीं देता है। इस तंत्र की पड़ताल करनी चाहिए। जहाँ तक भारत का भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हो सकने के बाबत प्रश्न है, तो सर्वप्रथम अंग्रेजी की वह पंक्ति याद आती है, कि–

"If wealth is lost nothing is lost
If health is lost something is lost,
But, if character is lost
everything is lost"

अर्थात् यदि संपत्ति चला गया तो कोई बात नहीं, यदि स्वास्थ्य चला गया तो कुछ क्षति होती है, लेकिन यदि चरित्र समाप्त हो गई तो सभी चीज गया चरित्र यदि अपनी गरिमा को समाप्त करता है तो सबसे बड़ा क्षति होता है। ये चरित्र ही किसी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति की तटस्थता को धैर्य के साथ मजबूती प्रदान करता है एवं अनेक विषंगतियों से बचाता है। यही चरित्र भ्रष्टाचार की संलिप्तता से दूर रखता या संलिप्त करता है।

बिहार राज्य में लोकायुक्त

भारत के अन्य राजयों के साथ– साथ बिहार राज्य देश में लोकपाल के तर्ज पर लोकायुक्त स़स्था को 1972 में ही प्रभावी तरीके से लागु किया है जिससे बिहार में भ्रष्टाचार को रोका जा सके और एक सशक्त, प्रभावी राज्य बनाया जा सके। इसके प्रथम लोकायुकत न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव साहनी थे तथा निवर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शार्मा है। मात्र लोकपाल भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार न केवल देश के विभिन्न संस्थाओं में

Created by Universal Document Converter

विभिन्न स्तरों तक व्याप्त हो चुका है बल्कि हमारी संवेदना में भी विवशता भरी स्वीकृति पा चुका है। जरूरत इस मनःस्थिति को बदलने की है जिसके लिए प्रभावी विधियों के अलावा सामाजिक जनांन्दोलन, सामाजिक विमर्श, भ्रष्टाचार के विरूद्ध सामाजिक व लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया भी आवश्यक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2013 को विधिक रूप दे दिया है एवं इसका गठन होना अभी बाकी है एवं लोकपाल के गठन से भ्रष्टाचार के निवारण एवं नियंत्रण तथा न्यूनीकरण में सहायता मिलेगी तथा आये दिन प्रकाश में आने वाले राजनैतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण प्रभावी हो जायेगा। लोकपाल रूपी संस्था से भ्रष्टाचारीयों में भय व्याप्त होगा और यह एक प्रमुख भ्रष्टाचार निवारण का कार्य करेगा, घोटालेबाजों में खौफ जगेगा एवं भ्रष्टाचारी डरेंगे।

लोकतंत्रात्मक शासन में यह अपेक्षा की जाती है कि जनता की शिकायतों को दूर करने के पर्याप्त साधन हों। वर्तमान न्यायिक प्रणाली अन्याय के सभी मामलों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए व्यथित व्यक्तियों के साथ सम्पूर्ण न्याय के लिए लोकपाल (ओम्बुड्समैन) जैसी संस्था सहायक हो सकती है, परन्तु ओम्बुड्समैन **''नौकर□ाही की सभी बुराईयों के लिए रामबाण''** नहीं है। लोकपाल की सफलता समुचित रुप से प्रशासित राज्य पर निर्भर करती है। जहां प्रशासन संरक्षण और भ्रष्टाचार की पहेली है वहां वह कुछ नहीं कर सकता है।

अतः कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम नैतिक बल, सत्यनिष्ठा, दृढ इछाशक्ति से ही भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, और इसी नैतिक बल एवं आत्मानुशासन, आत्म प्रेरणा व आत्मबल के तटस्थता के आधार पर भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हो सकेगा। जिसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार दुर करने में अपना योगदान देना होगा तभी जाकर अपना राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त होकर सर्वोच्च शिखर पर पहुचेगा।

Reference:-

1) एच0 डब्ल्यू0 आर0 वाडे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अंग्रेजी संस्करण (लखनऊ इस्टर्न बुक कंपनी) पुनः मुद्रित, तृतीय संस्करण 2001
2) मणी शंकर, लोकपाल की व्यवस्था, हिंदी संस्करण, (पटनाः यूनीवर्सल बुक एजेन्सी) प्रथम संस्करण 2001
3) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013
4) रजनी रंजन झा, लोकायुक्त द इण्डियन ओम्बुड्समैन, ऋषि पब्लिकेशन, प्रिन्टर्स जौहरी प्रिन्टर्स वाराणसी, अंग्रेजी संस्करण–1990
5) मणी शंकर, लोकपाल की व्यवस्था, हिंदी संस्करण, (पटनाः यूनीवर्सल बुक एजेन्सी) प्रथम संस्करण 2001
6) रमेश कुमार अरोड़ा, ''केस फॉर ओम्बुडसमैन इन इंडिया कामर्शियम, जनवरी, 1967, (पृष्ठ 23–35)
7) सुरेश कोहली, ''करप्शन इन इंडिया'', नई दिल्ली, चेतना 1975
8) Ombudsman (Lokayuktas) in Indian States M Parmar - Indian Journal of Public Administration, 1989 - journals.sagepub.com
9) Lokayukta: the Indian ombudsman RR Jha - 1990 - Rishi Publications
10) Institutional Analysis of Ombudsman M Asif - 2013 - researchgate.net
11) Institutional Analysis of Ombudsman M Asif - 2013 - researchgate.net
12) Lokpal and Lokayukta: The Indian sp sathe - Journal of the University of Bombay, 1969 - University of Bombay.

Created by Universal Document Converter